संoसंo–11/टी0बी0(स्था0)–05/2019..................(11)

मेल/निबंधित

स्वास्थ्य निदेशालय
बिहार, पटना

प्रेषक:–

डाo आर0डी0 रंजन,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री ध्रुव नारायण प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक,
ग्रा0–ढ़ेकहाँ, लक्ष्मण टोला, पो0–ढ़ेकहाँ बाजार,
था0–मोतिहारी मुफसिल, जिला–पूर्वी चम्पारण,

पटना, दिनांक– / /2019

विषय: आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदनों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन के संबध में कहना है कि आपके द्वारा वर्ष 2000 में बी0सी0जी0 प्रावैधिक के पद पर की गई प्रथम नियुक्ति के तिथि से आर्थिक एवं गैर आर्थिक लाभ तथा सेवा को पेंशन प्रदायी मानने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में कहना है कि डा0 ए0ए0 मल्लिक तत्कालीन उपनिदेशक यक्ष्मा के द्वारा वर्ष 1980–90 के बीच करीब छः हजार से ज्यादा अवैध नियुक्तियॉ कर दी गई जिन्हें विभागीय ज्ञापांक–528(11), दिनांक–30.04.1993 को सेवामुक्त कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या–10758–59/1995 अश्विनी कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.12.1996 को पारित न्यायादेश में अवैध रूप से नियुक्त यक्ष्मा कर्मियों की सेवामुक्ति को सही ठहराते हुए 12 बिन्दुओं निदेश जारी किया गया। उक्त के आलोक में निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऍ के द्वारा विज्ञापन संख्या–01/97 प्रकाशित किया गया। पुनः अवमाननावाद संख्या–270–71/1997 में दिनांक–03.11.1997 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बी0सी0जी0 प्रावैधिक/बी0सी0जी0 दलनायक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची का प्रेषण करते हुए प्रशिक्षण आदि के मामले में स्वास्थ्य विभाग को जाँच कर नियुक्ति करने का अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि बी0सी0जी0 प्रावैधिक पद के लिए योग्यता/अर्हत्ता प्रवेशिका उत्तीर्ण (सरकारी संस्थान से प्रशिक्षित) रखा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग से उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप राज्य में प्रशिक्षण हेतु स्थापित दो यक्ष्मा संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की ही नियुक्ति प्रथम समव्यवहार में दिनांक–16.03.2000 एवं दिनांक–26.03.2000 को निर्गत पत्र के द्वारा की गई। आपके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं होने के कारण तत्समय नियुक्ति नहीं की गई। विदित हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या–270–71/1997 में दिनांक–03.11.1997 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित Monitoring Bench के द्वारा अवमाननावाद संख्या–2828/1998 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों में विज्ञापन की

शर्तो के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत करते हुए दिनांक–25.01.2006 को नियुक्ति संबंधी मामले को बन्द कर दिया गया।

नियुक्ति से ठीक पूर्व असफल उम्मीदवारों के द्वारा समादेश याचिका संख्या–9256/1999, रत्नेश कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य तथा समादेश याचिका संख्या–12545/1999 हीरा लाल महतो बनाम् बिहार राज्य सरकार दायर किया गया, जिसमें दिनांक–22.05.2002 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में सरकारी संस्थान से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही नियुक्ति का आदेश दिया गया तथा अन्य संस्थानों से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को हटाने का निर्देश दिया।

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश में पूर्व के न्यायादेश को वापस कर लिया गया। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध समादेश याचिका संख्या–9256/1999 के याचिकाकर्ता द्वारा एल०पी०ए० संख्या–115/2015 दायर किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–20.04.2016 को खारिज कर दिया गया है। इसी बीच उक्त सिविल रिव्यू में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ माननीय पटना उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य सरकार दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अवमाननावाद में दिनांक–23.11.2016 को पारित अंतरिम न्यायादेश एवं एल०पी०ए० संख्या–115/2015 में दिनांक–20.04.2016 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० दायर किया गया। उक्त एस०एल०पी० संख्या–4294/2017 में दिनांक–27.02.2017 को पारित न्यायादेश में उपर्युक्त वर्णित अवमाननावाद संख्या–1711/2016 में पारित अंतरिम न्यायादेश एवं एल०पी०ए० संख्या–115/2015 में पारित न्यायादेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए उक्त अवमाननावाद के याचिकाकर्ताओं के द्वारा नियुक्ति हेतु दायर समादेश याचिकाएँ 17717/2008, 16264/2008 एवं 16934/2008 को आठ सप्ताह में निष्पादित करने का निदेश दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तीनों समादेश याचिकाओं का निष्पादन दिनांक–18.08.2017 को करते हुए निदेश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हेतु विभाग विचार करें, परन्तु मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की मांग को तर्कसंगत नहीं पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर उक्त एस०एल०पी० संख्या–4294/2017 को दिनांक–30.11.2017 को निष्पादित करते हुए संबंधित तथ्य को अवमाननावाद संख्या–1711/2017 में रखने का निदेश दिया गया।

उक्त अवमाननावाद में दिनांक–15.03.2018 को पारित न्यायादेश में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 321 उम्मीदवारों में से शेष बचे उम्मीदवारों के संबंध में गम्भीरतापूर्व विचार कर अलग–अलग सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। दिनांक–15.03.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग के द्वारा एक एल०पी०ए० संख्या– 507/2018 दायर किया गया था जो दिनांक–11.04.2018 को खारिज हो गया।

उक्त अवमाननावाद में दिनांक–15.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–16.06.2018 को पारित सकारण आदेशों में याचिकाकर्ता की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेशों के आलोक में विभाग द्वारा विशेष परिस्थिति में 60 वर्ष से कम आयु के शेष बी0सी0जी0 प्रावैधिकों एवं बी0सी0जी0 दलनायकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है।

60 वर्ष से ज्यादा आयु हो जाने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित होने के पश्चात भी आपकी नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो गयी एवं आपकी नियुक्ति नहीं की गई। चूँकि आपकी नियुक्ति ही नहीं की गई है, इसलिए किसी प्रकार का आर्थिक एवं गैर आर्थिक लाभ की माँग किया जाना असंगत एवं अतार्किक है।

उक्त के आलोक में आपके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डा० आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/टी0बी0 (स्था0)–05/2019–291...(11)/ दिनांक 20/3 /2019

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/3/19
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।